नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

नोएडा-दादरी रोड, फेज-II,

नोएडा-201305

डॉ. एल.बी. सिंघल, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसईजेड प्राधिकरण की अध्यक्षता में एनएसईजेड सेवा केंद्र के सम्मेलन कक्ष में 04/01/2018 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित एनएसईजेड प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड
2. श्री आलोक मुखर्जी, निदेशक, मैसर्स सिस्कॉम कॉरपोरेशन, एनएसईजेड
3. श्री पुनीत कपूर, साझेदार, मैसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन, एनएसईजेड

इनके अतिरिक्त, प्राधिकरण की सहायता के लिए मोहम्मद सालिक परवेज, उपायुक्त (सीमा शुल्क), एनएसईजेड; श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड; श्री आर.पी. वर्मा, सचिव, एनएसईजेड प्राधिकरण और श्री धरम वीर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एनएसईजेड भी उपस्थित थे। अन्य सहभागियों की सूची संलग्नक-1 में दी गई है।

प्रारंभ में अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सहभागियों का स्वागत किया और संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मद को एक-एक करके विचारार्थ लिया गया।

चर्चा/ निर्णयों का सार नीचे दिया जा रहा है :

1. एनएसईजेड प्राधिकरण की 06/11/2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

एनएसईजेड प्राधिकरण को सूचित किया गया कि एनएसईजेड प्राधिकरण द्वारा अपनी 06/11/2017 को आयोजित बैठक में लिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, 06/11/2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई। इसके अतिरिक्त, एनएसईजेड प्राधिकरण ने एसईजेड प्राधिकरण नियमावली, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के अनुसरण में अपनी 06/11/2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की और उनके अनुपालन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

2. एनएसईजेड में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए अनुमोदन

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि उसकी 06-11-2017 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण के समक्ष ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए 575.04 लाख रुपए की राशि के अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया था। उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदित करने का निर्णय लिया बशर्ते एनपीसीसी भी पूर्वनिर्मित संरचना के साथ परियोजना की अनुमानित लागत प्रस्तुत करे, ताकि यह कार्यालय ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए अपेक्षित आरसीसी संरचना के साथ परियोजना की लागत की तुलना कर सके. यह भी निर्णय लिया गया कि अनुमान की प्राप्ति के बाद पूर्वनिर्मित संरचना पर आरसीसी संरचना के संबंध में परियोजना पर किए जाने वाले खर्च को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम मत निर्धारित किया जाएगा। एनपीसीसी अर्थात कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी ने अपने 24-11-2017 के पत्र द्वारा पूर्वनिर्मित संरचना और आरसीसी संरचना के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी थीं।

मैसर्स एनपीसीसी ने पूर्वनिर्मित संरचना के विरुद्ध परामर्श दिया है और आरसीसी संरचना की सिफारिश की है। मैसर्स एनपीसीसी ने आरसीसी संरचना के साथ उक्त परियोजना का संशोधित अनुमान भी प्रस्तुत किया है। संशोधित अनुमान 5.33 करोड़ रुपए का है, जबकि मूल अनुमान 5.75 करोड़ रुपए का था। एनपीसीसी की टिप्पणियों को 12/12/17 को संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखा गया था।

समिति ने उपयुक्त विचार विमर्श के बाद सिफारिश की कि मैसर्स एनपीसीसी के पूर्वनिर्मित संरचना के विरुद्ध तकनीकी इनपुट और डीपीआर के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए प्रस्तावित आरसीसी संरचना की उपयुक्तता के संबंध में श्री पुनीत कपूर की अनुकूल रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एनएसईजेड प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।

प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसईजेड प्राधिकरण ने निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए मामला वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। समिति द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है और वाणिज्य विभाग द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 2.13 करोड़ रुपए (परियोजना की लगभग 50% लागत) का अनुदान स्वीकृत कर लिया गया है। प्रस्तावित राशि एनएसईजेड प्राधिकरण को किस्तों में जारी की जाएगी।

5.33 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ आरसीसी संरचना वाली ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए एनएसईजेड प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।

निर्णय :- प्राधिकरण ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद मैसर्स एनपीसीसी द्वारा 5.33 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत पर आरसीसी संरचना वाली ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। मैसर्स एनपीसीसी लि. कार्य निष्पादित करेगी।

3. क्षेत्र संकुल में सीसीटीवी लगाना :- प्राधिकरण को सूचित किया गया कि श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एनएसईजेड अधिकारियों मोहम्मद सालिक परवेज, उपायुक्त सीमा शुल्क और श्री राकेश कुमार, पर्यवेक्षक, सीमा शुल्क के एक दल ने क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के कार्य का अध्ययन करने के लिए सीप्ज एसईजेड मुंबई का दौरा किया। दौरा करने वाले दल ने सिफारिश की है कि 24X7 घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण-कक्ष के साथ समस्त दरवाजों और सीडब्ल्यूसी सहित, जहाँ प्रतिदिन मूल्यवान वस्तुओं की जाँच और मूल्यांकन किया जाता है, पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया जाए। केवल लगभग 60 एकड़ क्षेत्र वाले सीप्ज एसईजेड में लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे हैं। नियंत्रण-कक्ष की सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने सहायक सुरक्षा अधिकारियों और अन्य स्टाफ की सहायता से एक अंतः क्रियात्मक ढंग से सीधे निगरानी की जाए, जो आकस्मिक जाँच सुनिश्चित कर सके।

क्षेत्र संकुल, सेवा केंद्र और स्टाफ क्वार्टर्स में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया। प्रशासनिक अनुमोदन के बाद डीसीसी, एनएसईजेड के परामर्श से कार्य-क्षेत्र का निर्णय किया जाएगा और निविदा दस्तावेज तैयार किए जाएँगे तथा सीसीटीवी में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों से ही निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी।

निर्णय :- प्राधिकरण ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद क्षेत्र संकुल, सेवा केंद्र और स्टाफ क्वार्टर्स में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को **प्रशासनिक अनुमोदन** प्रदान कर दिया। इसके अतिरिक्त, सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण ने सेवा केंद्र और स्टाफ क्वार्टर्स, एनएसईजेड सहित क्षेत्र का किसी पेशेवर एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कराने और उसकी रिपोर्ट अनुमानित लागत आदि के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया।

4. एसडीएफ जी और ई ब्लॉक, एनएसईजेड की छत पर वाटर प्रूफिंग (ब्रिककोबा) :- प्राधिकरण को सूचित किया गया कि आबंटितियों से शिकायतें प्राप्त होने पर एनएसईजेड के अधिकारियों और डीपीएम, एनबीसीसी द्वारा 19/12/2007 को एसडीएफ 'जी' और 'ई' ब्लॉक, एनएसईजेड की छत पर वाटर-लीकेज के संबंध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा यह सिफारिश की गई कि एसडीएफ जी (पूरी छत) और ई ब्लॉक (लगभग 1000वर्गमीटर) पर वाटर प्रूफिंग (ब्रिककोबा) की तुरंत आवश्यकता है। एनबीसीसी को सुझाव दिया गया है कि वह चालू कार्यों के एक अंग के रूप में प्राथमिकता के आधार इस कार्य की अनुमानित लागत प्रस्तुत करे। यह भी उल्लेख किया गया कि एनबीसीसी अतिथि-गृह और एसडीएफ जे और के ब्लॉक, एनएसईजेड में वाटर प्रूफिंग का कार्य करती रही है।

यह एनएसईजेड प्राधिकरण की पुष्टि के लिए था।

निर्णय :- प्राधिकरण ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद एनबीसीसी को पहले से प्रदत्त चालू परियोजना के अनुक्रम में लिए गए उपर्युक्त निर्णय की पुष्टि कर दी।

5. एनबीसीसी को प्रदत्त चालू परियोजनाओं की समीक्षा :- एनबीसीसी को प्रदत्त चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति प्राधिकरण के समक्ष रखी गई।

निर्णय :- प्राधिकरण ने एनबीसीसी को प्रदत्त परियोजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की। प्राधिकरण ने नोट किया कि एनबीसीसी को प्रदत्त अधिकतर परियोजनाएँ 100% पूरी हो चुकी हैं। सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण ने एनबीसीसी को एसडीएफ 'एम' ब्लॉक के संबंध में वस्तु-सूची आदि सहित अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

6. एनएसएल के निष्पादन की समीक्षा :- एनएसएल को प्रदत्त एनएसईजेड प्राधिकरण के रखरखाव कार्यों की सूची समीक्षा के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखी गई।

निर्णय :- प्राधिकरण ने सेवाओं की एक-एक करके समीक्षा की और एनएसएल के प्रतिनिधि को सेवाओं की सुपुर्दगी में अनिवार्यतः सुधार करने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि विकास आयुक्त के कार्यालय में लगाए जाने वाले सर्वर, नेट्वर्किंग और श्रम-शक्ति के रखरखाव का कार्य अभी दिया जाना शेष है। सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण ने निविदा-औपचारिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

7. एपीसीसी के निष्पादन की समीक्षा :- एपीसीसी को प्रदत्त चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति प्राधिकरण के समक्ष रखी गई।

निर्णय :- प्राधिकरण ने एनपीसीसी को प्रदत्त परियोजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की। सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण ने परियोजना प्रबंधक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उसे प्रदान किए गए कार्य अनुमोदित कार्य-क्षेत्र के अनुसार और कार्य दिए जाने की लागत के भीतर पूरे किए जाएँ। एजेंसी अपनी ओर से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य का क्षेत्र और लागत बदल नहीं सकती। यदि इस संबंध में बदलाव आवश्यक हों, तो ऐसे बदलावों के लिए प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

8. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त को संपदा अधिकारी, एनएसईजेड प्राधिकरण के रूप में पदनामित करने की पुष्टि :- पीपी अधिनियम, 1971 की धारा 3 का प्रावधान और श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त को संपदा अधिकारी, एनएसईजेड प्राधिकरण के रूप में पदनामित करने का निर्णय प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।

निर्णय :- प्राधिकरण ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद कार्यसूची के अनुसार उपर्युक्त की पुष्टि कर दी।

9. एसडीएफ सं. ए-08 के संबंध में मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (आई) प्रा. लि. द्वारा किराएदारी करार निष्पादित करने में देरी :- एनएसईजेड प्राधिकरण को सूचित किया गया कि मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (आई) प्रा. लि. (इकाई-5) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.02.2017 द्वारा एसडीएफ सं. ए-08 के लिए इस शर्त पर स्थान आबंटित करने का प्रस्ताव दिया गया था कि एनएसईजेड प्राधिकरण द्वारा अपनी 23.06.2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इकाई 45 दिनों के भीतर किराएदारी करार निष्पादित कर लेगी। इकाई को इस स्थान का कब्जा 15.05.2017 को दिया गया था, अतः प्राधिकरण के उक्त निर्णय के अनुसार इकाई द्वारा 01.07.2017 तक किराएदारी करार निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। इकाई द्वारा इस संबंध में एक वचन-पत्र भी निष्पादित किया गया था। इकाई ने किराएदारी करार निष्पादित करने के आवेदन-पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज 13.12.2017 को अर्थात 5 महीने (लगभग) की देरी के बाद प्रस्तुत किया और **इकाई ने देरी माफ करने और किराएदारी करार निष्पादित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।**

2. यह निवेदन किया गया कि प्राधिकरण की 23.06.2016 की बैठक में उसके समक्ष निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तुत की गई।

यह देखा गया है कि कुछ इकाइयों ने भूखंड/एसडीएफ का कब्ज़ा ले लिया, किंतु समय-सीमा के भीतर उपपट्टा विलेख/किराएदारी करार निष्पादित नहीं किया। इकाई इसके

निष्पादन के लिए कब्जे की तारीख से 30 दिनों का समय दिया जाता है। किंतु कुछ इकाइयाँ अनुस्मारक भेजने के बाद भी ऐसा करने में विफल रहती हैं।

प्राधिकरण ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया :-

i) आवेदक को आवेदन करते समय 3 महीने के पट्टा-किराये जितनी राशि जमा करनी होगी, जो उनके नियमित पट्टा-किराए में समयोजित की जा सकेगी।

ii) आबंटिती को प्रस्ताव की तिथि से 15 दिनों के भीतर कब्जा लेना होगा।

iii) आबंटिती को कब्जा लेने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उपपट्टा विलेख/किराएदारी करार निष्पादित करना होगा, जिसमें विफल रहने पर आबंटन रद्द हो जाएगा और जमा की गई राशि बिना किसी अगले संदर्भ के जब्त कर ली जाएगी।

3. प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया कि मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इकाई-1, 2, 3, 4 और 5) का निर्यात निष्पादन बहुत अच्छा है। इकाई ने आबंटन पत्र दिनांक 16.02.2017 के अनुपालन में समस्त प्रभार जमा करवा दिए हैं और नियमित रूप से पट्टा-किराये का भुगतान कर रही है तथा आज की तारीख में उस पर कुछ भी बकाया नहीं है। इस मामले में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। एनएसईजेड प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पीछे मूल उद्देश्य इकाई द्वारा कब्जा न लेने और किराएदारी करार निष्पादित न करने की स्थिति में वित्तीय हानियों से बचना था। इस मामले में अभी तक आबंटन रद्द नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि इकाई इस क्षेत्र से निर्यात करने में बहुत अच्छी रही है और क्षेत्र-प्रशासन को पट्टा-किराए की कोई हानि नहीं हुई है, आबंटन रद्द करना और जमा की गई राशि जब्त करना बहुत कठोर प्रतीत होता है।

4. अत: किराएदारी करार प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ करने का इकाई का अनुरोध विचारार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।

निर्णय :- प्राधिकरण ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया :-

व्यापार के दोनों प्रतिनिधियों अर्थात सर्वश्री आलोक मुखर्जी और पुनीत कुमार, जो एनएसईजेड प्राधिकरण के सदस्य थे, ने मत व्यक्त किया कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आबंटिती ने कब्ज़ा ले लिया है, पट्टा-किराये का नियमित भुगतान कर रहा है, निर्यात कर रहा है, उक्त स्थान का आबंटन रद्द नहीं किया गया है, इकाई का निर्यात निष्पादन बहुत

अच्छा रहा है और चूँकि पट्टा-किराये के कारण मैसर्स इंडस वैली के मामले में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है, अतः इकाई को किराएदारी करार निष्पादित करने की अनुमति दी जा सकती है और यही रुख उन सभी मामलों में अपनाया जाए, जिनमें राजस्व की कोई हानि न हुई हो। एनएसईजेड प्राधिकरण द्वारा अपनी 23.06.2016 की बैठक में लिए गए निर्णय की भी समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किया गया। खंड सं. 3 अब निम्नानुसार पढ़ा जाए :

आबंटिती को कब्जा लेने की तारीख से 45 दिनों के भीतर **या प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई अवधि में** उपपट्टा विलेख/किराएदारी करार निष्पादित करना होगा, जिसमें विफल रहने पर आबंटन रद्द हो जाएगा और जमा की गई राशि बिना किसी अगले संदर्भ के जब्त कर ली जाएगी। **ऐसे मामले प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखे जाएँगे और प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर गुण-दोषों के अनुसार अवधि बढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता है।**

10. **एनएसईजेड द्वारा 2018-19 के दौरान किए जा सकने वाले कार्यों की अनंतिम सूची :-** 2018-19 के दौरान किए जा सकने वाले निम्नलिखित कार्यों की अनंतिम सूची प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखी गई।

i) सेंट्रल वर्ज, स्ट्रीट लाइट आदि सहित शेष सड़कों का पुनर्निर्माण।

ii) एसडीएफ-एफ, जी, एच और आई ब्लॉक।

iii) सीडब्ल्यूसी, एनएसईजेड में नए मालगोदाम का निर्माण।

iv) ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्निर्माण।

v) सम्मलेन कक्ष का विस्तार और नवीकरण

vi) सीढ़ियों में लकड़ी के कार्य की पेंटिंग।

vii) कमरा नं. 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112 और 113 में टाइल्स लगाना और पेंटिंग और प्रथम तल पर कमरा नं. 103 और 113 को छोड़कर उपर्युक्त सभी कमरों में पेंटिंग और द्वितीय तल पर कमरा नं. 206, 209 और 210 में पेंटिंग।

viii) आपदा प्रबंधन प्रणाली का विकास।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि मैसर्स एनबीसीसी सड़क, एसडीएफ ब्लॉक, ड्रेनेज सिस्टम, सेवा केंद्र के नवीकरण आदि से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास/रखरखाव

और मरम्मत का कार्य कर रही है। तदनुसार प्राधिकरण ने मैसर्स एनबीसीसी से निम्नलिखित कार्यों के संबंध में अनुमान आमंत्रित करने का निर्णय किया :

i) सेंट्रल वर्ज, स्ट्रीट लाइट आदि सहित शेष सड़कों का पुनर्निर्माण।

ii) एसडीएफ-एफ, जी, एच और आई ब्लॉक।

iv) ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्निर्माण।

v) सम्मलेन कक्ष का विस्तार और नवीकरण

vi) सीढ़ियों में लकड़ी के कार्य की पेंटिंग।

vii) कमरा नं. 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112 और 113 में टाइल्स लगाना और पेंटिंग और प्रथम तल पर कमरा नं. 103 और 113 को छोड़कर उपर्युक्त सभी कमरों में पेंटिंग और द्वितीय तल पर कमरा नं. 206, 209 और 210 में पेंटिंग।

इसी तर्ज पर प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी के लिए मैसर्स एनपीसीसी से अनुमान आमंत्रित करने का निर्णय किया। आपदा प्रबंधन के संबंध में प्राधिकरण ने जेडीसी को एनएसईजेड प्राधिकरण में अपेक्षित न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए जिला प्रशासनिक प्राधिकरण के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ बैठक संपन्न हुई।

(एस.एस. शुक्ला) (डॉ. एल.बी. सिंहल)

संयुक्त विकास आयुक्त अध्यक्ष एवं सीईओ